मिशन सौर चरखा (एमएससी) – दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1- सौर चरखा संबंधी पाइलट परियोजना का कार्यान्वयन बिहार के नवादा जिले के खानवा गांव में वर्ष 2016 में किया गया था। पाइलट परियोजना की सफलता के आधार पर, भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान पचास क्लस्टरों की स्थापना के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया। उपरोक्त 50 अनुमोदित क्लस्टरों के माध्यम से लगभग एक लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सौर चरखा इकाई को आधिकारिक तौर पर ग्रामोद्योग के रूप में घोषित किया है। 10 तकुए के सौर चरखे का निर्धारण एक मानक चरखे के रूप में किया गया तथा विविध किस्म के सौर चरखे के परीक्षण के उपरांत इसे विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इसके तकनीकी विनिर्देशों को मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया।

1.3 इस योजना में 'सौर चरखा क्लस्टर' की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसका तात्पर्य फोकल व 8 से 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित गावों से है। तदनंतर, इस तरह के क्लस्टर में 200 से 2042 लाभार्थी (कत्तीन, बुनकर, स्टिचर और अन्य कुशल कारीगर) होंगे। प्रत्येक कत्तीन को 10 तकुए के दो चरखे दिए जाएंगे। सामान्यतः ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह के क्लस्टर में लगभग 1000 चरखे होंगे। एक क्षमतावान क्लस्टर के अंतर्गत 2042 कारीगरों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया हाएगा।

2. योजना का उद्देश्य

इस योजना के उद्देश्य निम्नवत हैं:

i) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर चरखा क्लस्टर के माध्यम से मुख्यतः महिलाओं व युवाओं हेतु रोजगार सृजित कर उनका समग्र व दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना।

ii) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकने में सहायता करना।

iii) स्थायित्व हेतु कम लागत, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं का लाभ उठाना।

3. परियोजना संबंधी इंटरवेनशन: इस योजना में निम्नलिखित इंटरवेनशन शामिल होंगे:

सौर चरखा के एक क्लस्टर में अधिकतम 9.599 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल होगी। इस संबंध में निर्देशात्मक योजना नीचे दी गई है:

इस योजना में तीन प्रकार के इंटरवेनशन शामिल होंगे, अर्थात् -

व्यक्तिगत और एसपीवी हेतु पूंजी सब्सिडी:

(ए) 1000 कत्तीनों को 3.15 करोड़ रुपये की कुल संचयी सब्सिडी हेतु अधिकतम 45,000 रुपये प्रति चरखे तथा प्रति चरखे पर 15750 रुपये की सब्सिडी की रूपरेखा तैयार की गई।

(बी) दो सौर-चरखों की एक यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन 2.0 किलोग्राम यार्न का उत्पादन किया जाएगा। परिणामस्वरूप, प्रति 2000 चरखे से 2.0 टन का यार्न का उत्पादन होगा। इसप्रकार, यार्न को फैब्रिक में परिवर्तित करने हेतु अधिकतम 1,10000 रुपये प्रति करघे की दर से 500 सौर-करघे तथा 35 प्रतिशत की दर से प्रति करघे पर 38,500 रुपये की सब्सिडी व 500 बुनकरों हेतु कुल 1.93 करोड़ रुपये की सब्सिडी की आवश्यकता होगी।

(सी) एसपीवी हेतु प्रति क्लस्टर अधिकतम 1.20 करोड़ रुपये की दर से शत-प्रतिशत सब्सिडी सहित न्यूनतम 20,000 वर्गफुट के वर्कशेड-निर्माण हेतु पूंजीगत लागत।

(डी) एसपीवी हेतु प्रति क्लस्टर अधिकतम 0.40 करोड़ रुपये की दर से शत-प्रतिशत सब्सिडी सहित 50 किलोवाट क्षमता के सोलर ग्रिड हेतु पूंजीगत लागत।

(ई) इकाई के स्थायित्व व उसकी आत्मनिर्भरता एवं मूल्य संवर्धन हेतु ट्विस्टिंग मशीन, डाइंग मशीन व स्टिचिंग मशीन (कुल 500) की खरीद हेतु 35 प्रतिशत की दर से एसपीवी हेतु एकबारगी पूंजीगत लागत सब्सिडी 0.75 करोड़ रुपये होगी।

i. **कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज सहायता:** बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा छः माह हेतु प्रभारित की जा रही ब्याज दर पर विचार किए बगैर कार्यशील पूंजी पर 8 प्रतिशत ब्याज सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया। रोविंग की लागत, कत्तीनों और बुनकरों के परिश्रमिक सहित 8 प्रतिशत ब्याज सहायता की दर से छः माह हेतु आवर्ती कार्यशील पूंजी 1.584 करोड़ रुपये होगी।

ii. **क्षमता निर्माण:**

इस योजना में कत्तीनों/बुनकरों और परिधान इकाई में शामिल अन्य व्यक्तियों हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए प्रति क्लस्टर 0.595 करोड़ रुपये की कुल लागत के पाठ्यक्रम को शामिल करने की संकल्पना है।

(क) संस्थागत व्यवस्था:

योजना की चुनौतियों और व्यापक भौगोलिक कवरेज को देखते हुए, एक कुशल योजना प्रबंधन संरचना और वितरण कार्यप्रणाली का प्रस्ताव रखा गया। मंत्री, एमएसएमई की अध्यक्षता में एक शासी निकाय होगा , जो योजना के लिए समग्र नीति, समन्वय और प्रबंधन मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। योजना संचालन समिति (एसएससी) का गठन सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में किया जाएगा।

मिशन मोड में योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के परामर्श से एक मिशन निदेशक के रूप में मिशन निदेशालय का सृजन किया जाएगा , जो योजना संचालन समिति (एसएससी) को रिपोर्ट करेगा। यह मिशन एक पूर्ण संक्रियात्मक पीएमयू का गठन करेगा, जिसमें परियोजना प्रबंधन, वित्त और फोरकास्टिंग और विपणन में तीन विशेषज्ञ होंगे। मिशन एथोरटी, मिशन उद्देश्यों की योजना बनाने, इसे कार्यान्वित करने व इसे निष्पादित करने के साथ-साथ समय-सीमा पर विशेष रूप से ध्यान देने व पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु समय-समय पर

(क) कार्यान्वयन-प्रणाली

i. इस तरह के मानदंड और कवरेज की योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु परियोजना प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) आधारित एक निर्धारित मिशन सौर चरखा (एमएससी) वेबसाइट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कि परियोजनाओं की जांच करने संबंधी प्रस्तावों को आमंत्रित करते हुए इसका ऑनलाइन प्रबंधन किया जा सके और प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रगति का समवर्ती अनुश्रवण भी अच्छी तरह से हो सके।

ii. प्रस्तावित पीएमएस में ऑनलाइन आवेदन, एमआईएस ट्रैकिंग, भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण, रिपोर्ट्स की शेयरिंग तथा इस योजना के तहत स्थापित नई इकाइयों की जीवो-टैगिंग जैसे परियोजना प्रबंधन हेतु अन्य उपकरण इसमें इनबिल्ट होंगे।

iii. क्लस्टरों को प्रमोटर अभिकरण के प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के मूल्यांकन के आधार पर एसएससी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

iv. प्रशासनिक एवं योजना प्रबंधन व्यय के लिए 'एमएससी प्रशासनिक निधि' के तहत आवंटित कुल बजट की 3% निधि निर्धारित करने की संकल्पना की गई है। योजना के अनुश्रवण व कार्यान्वयन हेतु कुल बजट से 1 प्रतिशत अतिरिक्त निधि आवंटित की जाएगी तथा मिशन प्राधिकारी द्वारा प्रबंधित प्रचार एवं आउटरीच व्यय हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

(क) परियोजना कवरेज एवं अवधि

देशभर से 50 से अधिक क्लस्टरों को कवर किए जाने का लक्ष्य है। यह योजना भारत के सभी राज्यों में लागू की जाएगी। परियोजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा 2 वर्ष होगी।

4. योजना के मुख्य मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) सौर-चरखा निदेशालय, क्षमतावान क्लस्टरों की राज्यवार सूची तैयार करेगा।

(ii) सौर चरखा क्लस्टर की स्थापना हेतु व्यक्ति या प्रमोटर एजेंसी का चयन किया जाएगा। मौजूदा खादी संस्थाएं ऐसे क्लस्टरों की स्थापना के काम का भी जिम्मा उठा सकते हैं।

(iii) प्रमोटर, आवेदन करते समय निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करेंगे।

(क) प्रमोटर द्वारा बेस-लाइन सर्वेक्षण किया जाएगा और कम से कम आधार संख्याओं के साथ 200 सदस्यों को चिन्हित किया जाएगा, जिनमें कम से कम 50% महिलाएं होंगी।

(ख) कम से कम 20,000 वर्ग फुट और 2 एकड़ तक की भूमि प्रमोटर द्वारा स्वयं की अथवा न्यूनतम 15 वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पर उपलब्ध करायी जाएगी। भूमि की व्यवस्था प्रमोटर द्वारा की जाएगी तथा भूमि से संबंधित सभी व्यय प्रमोटर द्वारा किए जाएंगे।

(iv) एसएससी द्वारा प्रमोटर के अंतिम चयन के बाद तथा निधि जारी करने से पूर्व, प्रमोटर आवश्यक कार्यशील पूंजी की कम से कम 15 प्रतिशत राशि अथवा कार्यशील पूंजी की न्यूनतम तीन माह की परिलक्षित राशि को एक इस मद हेतु निर्धारित पृथक खाते में जमा करेंगे।

(v) एक गाँव पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सौर चरखा, सौर करघा व सिलाई मशीन के समन्वित मॉडल का प्रस्ताव रखने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सेक्शन-8 कंपनी अथवा उत्पादक कंपनी के तहत प्रमोटर अभिकरण, निधि की पहली किस्त जारी करने से पूर्व, एक एसपीवी का गठन करेंगे।

(vi) प्रमोटर अभिकरण/एसपीवी की भूमिका

(क) कार्यनीति व कार्यान्वयन की योजना तैयार करना।

(ख) डीपीआर को संवीक्षा हेतु मिशन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व, यदि आवश्यक हो तो, क्लस्टर और पर्यावरण-निर्बाधन हेतु राज्य/संघीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना।

(ग) एसएससी के अनुमोदन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, तकनीकी और कौशल स्तरों की मैपिंग, मौजूदा गतिविधियों सहित कारीगरों की संख्या और उनका वर्तमान अर्जन, क्लस्टर-स्तरीय सहयोग व उचित परिणाम हेतु कार्यनीति व कारीगरों की मजदूरी में वृद्धि, बैकवर्ड फारवर्ड लिंकेज, कच्चे माल की प्राप्ति व तैयार उत्पादों का विपणन इत्यादि।

(घ) प्रमोटर अभिकरण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कारीगरों को वर्तमान नियम व विनियम के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया गया है।

(vii) यद्यपि, एसपीवी न्यूनतम 400 चर्खों को ऑपरेट कर सकते हैं, यद्यपि इस योजना में 400 चर्खों का प्रावधान है।

5. संस्थागत व्यवस्था:

योजना की चुनौतियों और व्यापक भौगोलिक कवरेज को देखते हुए, एक कुशल योजना प्रबंधन संरचना और वितरण कार्यप्रणाली का प्रस्ताव रखा गया।

5.1 शासी निकाय

मंत्री, एमएसएमई की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा, जो योजना के लिए समग्र नीति, समन्वय और प्रबंधन मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। योजना संचालन शासी निकाय का गठन अनुलग्नक 1 में किए गए उल्लेख के अनुसार किया जाएगा। यदि, यह पाया जाता है कि सौर चरखा परियोजना का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है तो योजना संचालन समिति की सिफ़ारिश पर शासी निकाय मिशन प्राधिकारी अथवा कार्यान्वयन के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है।

5.2 योजना संचालन समिति

योजना संचालन समिति (एसएससी) का गठन सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में किया जाएगा, जैसा कि अनुलग्नक-2 में विस्तृत रूप से दिया गया है। एसएससी, संक्रियात्मक आवश्यकता के आधार पर, उद्योग एसोसिएशन, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं तथा अन्य निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ संगठनों के सदस्य/विशिष्ट अतिथि का चयन कर सकता है। क्लस्टरों के प्रस्तावों की संवीक्षा व इसे मिशन निदेशालय द्वारा एसएससी को अग्रेषित करने के उपरांत पर इस प्रकार एसएससी द्वारा विचार किया जाएगा तथा इसे अनुमोदन प्रदान। एसएससी योजना के मूल उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर व योजना पर विशेष ध्यान संकेंद्रित करते हुए गतिविधियों व तदनरूप निधि का अंतर-सेक्टरल समायोजन करेगा।

(क) प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

एन्करिंग क्लस्टर विकास हेतु इच्छुक संस्थाओं/अभिकरणों/ट्रस्ट/कंपनियों के प्रमुख के अनुमोदन से आवश्यक अनुलग्नक सहित अनुलग्नक-III में निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तावित प्रोफार्मा में प्रस्ताव (एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी) को निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी),

ग्रामोदय 3, इर्ला रोड , विले पार्ले (पश्चिम),

मुंबई - 400056

टेलीफोन (022-2671 1577) टेलेफैक्स: (022-2671 8289)

E-mail: ceo.kvic@gov.in

(ख) मूल्यांकन तथा अनुमोदन:

ट्रैक रिकॉर्ड, मेरिट तथा संस्था की कार्यनीति के आधार पर क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टर को विकसित करने संबंधी प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा। योजना संचालन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा तथा अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। जाएगा। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से कार्य-निष्पादन का अनुश्रवण किया जाएगा। प्रगति में अत्यधिक कमी की स्थिति में प्रमोटर एजेंसी में बदलाव कर दिया जाएगा और एसएससी के अनुमोदन से नए अभिकरण को सहायता जारी रखी जा सकती है।

5.2.1: प्रमोटर अभिकरण/एसपीवी का अतिरिक्त उत्तरदायित्व:

प्रमोटर अभिकरणों की भूमिका एवं उनके उत्तरदायित्व में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं:

i. योजना के बारे में क्लस्टरों में बताना तथा उन्हें योजना के प्रति जागरूक करना।
ii. राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु क्लस्टर के लिए विशिष्ट व मिश्रित उत्पादों का चिंहांकन।
iii. विवरण तैयार करना – आत्म-निर्भरता हेतु व्यावसायिक मॉडल, कारीगरों का कौशल उन्नयन, नए कौशल का अर्जन, परियोजना हेतु भौतिक एवं वित्तीय परिणामी लक्ष्यांक का निर्धारण, कारीगरों की

उत्पादकता व अर्जन में वृद्धि करना। नियमित प्रचार माध्यम से ब्रांड बिल्डिंग, उत्पाद खंड, संवर्धन व विज्ञापन तथा स्पष्ट लक्ष्यांक इत्यादि सहित निर्यात की संभावना की जांच करते हुए मेले व प्रदर्शनियों में सहभागिता।

iv. एसपीवी, उपयुक्त डिजाइन इनपुट, उत्पाद प्रसंस्करण, उत्पाद विकास व समुचित पैकेजिंग इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु उपयुक्त निबंधन व शर्तों सहित डिजाइन हाउस/डिजाइनर को नियुक्त कर सकते हैं।

v. प्रमोटर एजेंसी, निम्नलिखित के संबंध में विपणन की कार्यनीति तथा विस्तृत कार्य-योजना तैयार करेंगी:

(क) उत्पाद विकास
(ख) पैकेजिंग
(ग) उत्पाद का मूल्य-निर्धारण
(घ)उत्पाद की स्थिति व संवर्धन
(ङ) ऑफलाइन विपणन मोड के तहत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क
(च) ऑनलाइन विपणन हेतु ई-वाणिज्य का उपयोग करना।

आपूर्ति चेन व लॉजिस्टिक का निर्धारण

(छ) उत्पाद की गुणवत्ता व मानकीकरण को सुनिश्चित करना।
(ज) उचित इंटरवेनशन के माध्यम से निर्यात क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठाना।

vi. कार्यान्वित की जा रही क्लस्टर परियोजना का अनुश्रवण व मूल्यांकन।

vii. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, प्रमोटर एजेंसी / एसपीवी इस संबनद्ध में समुचित प्रलेखन तैयार करेगी, जिसमें केस स्टडीज तैयार करने और उत्पादकता व बिक्री के संदर्भ में परिणामों को दर्शाता हुआ फोटो दस्तावेज इत्यादि शामिल करने संबंधी सम्पूर्ण गतिविधियां हैं।

5.2.2 एसपीवी का गठन अनिवार्य है। क्लस्टर गतिविधियों को विकसित करना तथा इसे स्थायी व दीर्घकालिक बनाए रखना ही एसपीवी का उद्देश्य होगा। प्रत्येक क्लस्टर हेतु एक एसपीवी का गठन किया जाएगा, जो निम्न में से कोई भी हो सकता है:

i. कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 465 (1) के अंतर्गत गठित एक उत्पादक कंपनी।

ii. कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के तहत एक कंपनी।

5.2.3 प्रमोटर अभिकरण/एसपीवी के चयन का मानदंड:

(क) मौजूदा खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाएं क्लस्टर स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकती हैं। हालांकि, निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:

i) संस्था के तुलन-पत्रक व परिसंपत्ति सकारात्मक होने चाहिए।
ii) संस्था में 200 से कम कारीगर नहीं होने चाहिए।
iii) बिक्री के संबंध में संस्था का पिछले 03 वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये से कम का टर्नओवर नहीं होना चाहिए।
iv) पिछले तीन वर्षों में कारीगरों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।

(ख) अलग-अलग संविधि के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एसपीवी, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी जैसी अन्य संस्थाएं निम्नलिखित मानदंडों सहित नवीन सोलर चरखा क्लस्टर की स्थापना हेतु आवेदन कर सकती हैं। :

i) विजन व मिशन

ii) पर्याप्त अनुभव सहित बोर्ड व शासी संरचना।

iii) उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली(एमआईएस)

iv) वित्तीय स्रोत – इक्विटी एवं ऋण

v) पिछले तीन वर्षों का वित्तीय कार्यनिष्पादन – लाभ व आईआरआर

(ग) सोलर चरखा क्लस्टर के माध्यम से ग्रामोद्योग गतिविधि से पहली बार जुडने हेतु इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित मानदंडों के साथ नए क्लस्टर हेतु आवेदन कर सकते हैं:

i) सामाजिक एवं ग्रामीण उत्थान हेतु सर्वोत्कृष्ट वचनवद्धता।

ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/एनबीएफ़सी/उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी निधि से निधीयन हेतु वचनबद्धता।

iii) उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली(एमआईएस)

iv) शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाने वाला कोई अन्य मानदंड

6. कार्यान्वयन पद्धति:

इसमें एक राष्ट्रीय मिशन निदेशक होंगे, जो भारत सरकार के सचिव स्तर से कम के नहीं होंगे, वे मिशन से संबन्धित सभी गतिविधियों के प्रभारी होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी इसके मिशन निदेशक होंगे। (अनुलग्नक *2.1* के अनुसार विस्तृत विवरण दिया गया है) मिशन निदेशालय संबन्धित विषय-विशेषज्ञ अथवा यथाआवश्यक कर्मचारियों से सहायता लेंगे। मिशन निदेशक के प्रमुख उत्तरदायित्व नीचे दिये जा रहे हैं।

i. मिशन के विस्तृत डिजाइन सहित सोलर चरखा मिशन का कार्यनीतिक मसौदा व विस्तृत कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करना।

ii. केंद्र, राज्य व बाह्य हितधारकों में परस्पर समन्वय, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि डीपीआर तैयार करने तथा उत्कृष्ट पद्धति की शेयरिंग हेतु बाह्य अभिकरण का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाता है।

iii. क्षमता निर्माण व एसपीवी की सहायता करना व प्रारम्भिक सहायता।

iv. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग मिशन के निदेशक होंगे तथा वे एसएससी को रिपोर्ट करेंगे।

v. परियोजना के कार्यान्वयन की शीघ्रता संबंधी आवश्यकता पर विचार करते हुए, संयुक्त सचिव (एआरआई), एमएसएमई मिशन निदेशक के साथ साप्ताहिक प्रगति पर चर्चा करेंगे।

vi. एसएससी द्वारा मिशन के समग्र विकास की प्रत्येक माह समीक्षा की जाएगी।

vii. शासी काउंसिल द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार मिशन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

6.1 वेब आधारित परियोजना प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस)

योजना को इस स्केल व कवरेज पर प्रभावी प्रबंधन हेतु समर्पित मिशन सोलर चरखा वेबसाइट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो पीएमएस समर्थित होगा, जिससे आवेदन की जांच हेतु प्रस्तावों आमंत्रित करते हुए परियोजनाओं को ऑनलाइन प्रबंधित करते हुए इसके पूर्ण होने तक प्रगति का समवर्ती अनुश्रवण किया जा सके। प्रस्तावित पीएमएस में ऑनलाइन आवेदन, एमआईएस ट्रैकिंग, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण, परियोजना प्रबंधन हेतु रिपोर्ट व टूल की शेयरिंग इत्यादि संबंधी इनबिल्ट सिस्टम होगा। इस प्रणाली से सभी संबन्धित संस्थाओं तथा पणधारियों को परियोजना की प्रगति तथा वर्क ओवर रन्स, अपर्याप्त कवरेज तथा अन्य

जोखिम व गुणवत्ता संबंधी मामले में सहायता मिलेगी। इस वेब प्लेटफॉर्म के अंतर्गत क्षमतावान प्रमोटर अभिकरणों को आवेदन करने व प्रमाणपत्र अपलोड करने के लिए भी विकल्प होंगे, जिससे एसएससी को एक उपयुक्त कॉल लेने में मदद मिल सके।

7. क्लस्टर की अनंतिम सूची का चिंहांकन

i). मिशन निदेशक सर्वप्रथम, क्षमता क्लस्टरों की राज्य वार सूची तैयार करेंगे।

ii). परियोजनाओं के चिंहांकन व संरचना हेतु एक बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि परियोजना की जीवन-क्षमता, स्थायित्व व दीर्घकालिकता को सुनिश्चित किया जा सके। क्लस्टर का चयन ऐसे जगह किया जाना चाहिए, जहां उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग हो तथा साथ ही साथ गतिविधियों में सुधार लाया जा सके तथा बाजार हेतु उच्च मूल्य के उत्पादों का उत्पादन किया जा सके।

iii). स्केल की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर और गतिविधियों में महत्वपूर्ण संख्या होनी चाहिए। एमएससी के तहत परियोजना को एकीकृत किया जाना चाहिए तथा वैल्यू चेन आधारित होना चाहिए तथा सम्पूर्ण मूल्य में आए अंतर को समाप्त करने के लिए इंटरवेनशन सहित परियोजना तैयार की जानी चाहिए।

iv). सभी सुविधायुक्त उत्पाद वाले क्लस्टर से क्लस्टरों की जीवनक्षमता में वृद्दि होगी। परियोजना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक मूल्य कैपचर तथा उच्च इकाई मूल्य रियलाइजेशन हेतु ग्रामीण/क्लस्टर स्तर पर पर्याप्त मूल्य संवर्धन हो।

v). यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो, क्लस्टर द्वारा स्वयं सम्पूर्ण मूल्य संवर्धन किया जाना चाहिए, जिससे कि अधिकतम वसूली की जा सके।

vi). परियोजना डिजाइन व संरचना के अंतर्गत परियोजना गतिविधियों की दीर्घकालिकता हेतु एक विशिष्ट योजना होनी चाहिए तथा एग्जिट प्लान सहित परियोजन अवधि से अधिक समय सीमा होनी चाहिए।

vii). इस परियोजना को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि विविध गतिविधियों के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

viii). इस परियोजना के अंतर्गत क्लस्टर के सभी सदस्यों की सहभागिता व समावेश की अनुमति व बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं के अंतर्गत इस क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान देते हुए चिन्हित चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।

8. एसएससी से अनुमोदन

परियोजना के अनुमोदन व कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु एसएससी उत्तरदायी होगा। अनुमोदन प्रक्रिया एक चरण की ही होगी।

9. अनुमोदन प्रक्रिया

परियोजना/क्लस्टर को प्रमोटर अभिकरण के प्रस्ताव व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मिशन निदेशालय द्वारा मूल्यांकन किए जाने के पश्चात ही एसएससी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन डीपीआर में बेसलाइन जानकारी, अनंतिम इंटरवेनशन, प्रस्तावित कार्यान्वयन की रूपरेखा इत्यादि का विस्तृत समावेश होना चाहिए :

i. लागत आंकलन एवं समय सीमा सहित इंटरवेनशन के विशिष्ट विवरण के साथ मानक टेम्पलेट के अनुसार डीपीआर तैयार करना।

ii. परियोजना विशिष्टता (एसपीवी) का चिंहांकन व गठन

iii. अंशधारकों के करार का निष्पादन तथा प्रमोटर अभिकरण व सदस्यों के मध्य अन्य संबंधित करार का निष्पादन

iv. प्रमोटर अभिकरण के नाम पर पंजीकृत बिक्री व पट्टा विलेख के अनुसार प्रमोटर अभिकरण द्वारा जन सुविधा केंद्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था।

v. राज्य/संघीय राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव का अनुमोदन ,जो डीपीआर को एसएससी द्वारा अंतिम अनुमोदन दिये जाने से पूर्व क्लस्टर की स्थापना हेतु सहमति देने के लिए सर्वोच्च स्तर के सक्षम प्राधिकारी हैं।

10. प्रमोटर अभिकरण को निधि जारी करना-

एसएससी द्वारा डीपीआर के अनुमोदित किए जाने के उपरांत मंत्रालय मिशन निदेशालय के अनुसार निधि जारी करेगा। इसके पश्चात, प्रशिक्षण व सीएफ़सी/टीपीसी निर्माण हेतु निधि जारी करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। मिशन निदेशालय प्रमोटर अभिकरण स्तर पर निम्नलिखित प्रारंभिक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा।

i. क्लस्टर स्तर पर एसपीवी के गठन हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

ii. क्लस्टर-वार निधि जारी करने संबंधी प्रस्ताव को प्रमोटर अभिकरण द्वारा मिशन निदेशालय को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमोटर अभिकरण को जारी निधि अनुमोदित कार्य योजना व व्यय पर आधारित होगी।

iii. मिशन निदेशालय उपयोगिता प्रमाणपत्र व प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत ही प्रमोटर अभिकरण को निधि जारी करेगा।

iv. प्रमोटर अभिकरण इस निधि हेतु पृथक रूप से एक खाते का रख-रखाव करेगा तथा यह लेखा परीक्षा के अधीन होगा।

v. प्रमोटर अभिकरण को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार निधि जारी की जाएगी:

क) पीए व्यवस्था भूमि पर अग्रिम के रूप में वर्कशेड की लागत का 20 प्रतिशत(पहली किस्त) तथा 200 चरखे की लागत हेतु सरकार से प्राप्त सब्सिडी अथवा क्लस्टर हेतु प्रस्तावित चरखों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत, दोनों में से जो भी कम है, तथा साथ ही साथ 50 करघों की लागत हेतु सरकार से प्राप्त सब्सिडी अथवा क्लस्टर हेतु प्रस्तावित करघों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत, दोनों में से जो भी कम है।

ख) वर्कशेड पूरा करने हेतु प्रथम किस्त के दो तिहाई उपयोग पर अन्य 30 प्रतिशत पर दूसरी किस्त तथा 1200 चरखों की लागत हेतु सरकार से प्राप्त सब्सिडी अथवा क्लस्टर हेतु प्रस्तावित चरखों की कुल संख्या का 60 प्रतिशत, दोनों में से जो भी कम है तथा साथ ही साथ 300 करघों की लागत हेतु सरकार से प्राप्त सब्सिडी अथवा क्लस्टर हेतु प्रस्तावित करघों की कुल संख्या का 60 प्रतिशत, दोनों में से जो भी कम है तथा साथ ही साथ ट्विस्टिंग, स्टिचिंग व डाइंग मशीन जैसे अन्य उपकरणों की लागत के 50 प्रतिशत लागत हेतु सरकार से प्राप्त सब्सिडी। आगे, अनुमोदित कार्यशील पूंजी(ब्याज सबवेनशन) जारी करने हेतु बैंक को अनापत्ति निर्बाधन दिया जाएगा।

ग) तीसरी किस्त में योजना के अनुसार जारी किसी भी शेष राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

11. प्रशासनिक व योजना प्रबंधन व्यय:

एमएससी प्रशासनिक निधि का उपयोग सभी प्रशासनिक व्यय हेतु किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं जैसे- अनुश्रवण व मूल्यांकन व्यय, एमएससी संबंधी लेखन व्यय, मंत्रालय/मिशन निदेशालय के अधिकारियों का दौरा/एक्सपोजर विजिट, फोटोकॉपिअर जैसे कार्यालय ऑटोमेशन उपकरण की खरीद, अनुरक्षण डाटा प्रबंधन की आउटसोर्सिंग व योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास इत्यादि।

12. परियोजना कवरेज व अवधि

12.1 परियोजना कवरेज

देशभर में ऐसे कुल 50 सोलर क्लस्टर को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों के तहत करीब 1,00,000 कारीगरों/लाभार्थियों को कवर किया जाना है। यह योजना भारत के सभी राज्यों में लागू की जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा पहाड़ी राज्यों में स्थित क्लस्टर हेतु न्यूनतम 10 प्रतिशत सहित देशभर के क्लस्टरों के भौगोलिक वितरण को ध्यान में रखा जाएगा। इस योजना के तहत परियोजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने हेतु 117 महत्वाकांक्षी जिलों को ध्यान में रखा जाएगा।

12.1. परियोजना अवधि

परियोजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा 2 वर्ष होगी। डीपीआर में इंटरवेनशन की वर्ष-वार फेजिंग व निधि की आवश्यकता का उल्लेख होगा।

13. अभिसरण (कनवरजेंस)

13.1 ग्रामीण क्लस्टरों की स्थिति सुदृढ़ करने व गरीबों की आजीविका हेतु पर्याप्त निवेश किया गया है।

13.1. प्रयास, प्रभाव व दीर्घकालिकता में वृद्धि करने के लिए अभिसरण सुनिश्चित करने व योजना व कार्यान्वयन के संबंध में विविध निजी प्रयासों व सरकारी योजनाओं में तालमेल बैठाना आवश्यक है। निम्नलिखित स्रोतों के माध्यम से संसाधनों का अधिक से अधिक लाभ उठाना इस योजना का लक्ष्य है शामिल है:

i. निजी क्षेत्र की भागीदारी: इस योजना से बेहतर रिकॉर्ड वाले निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

ii. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व*:* सरकारी व निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट, अपने सीएसआर के रूप में इस योजना के अंतर्गत परियोजना को अतिरिक्त वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रचालन सहायता व प्रबंधकीय व विपणन सहायता उपलब्ध कराते हुए एमएससी कार्यक्रम में भाग ले सकता है।

iii. प्राइवेट इक्विटी इम्पैक्ट फंड के माध्यम से भागीदारी*:* सामाजिक निवेश के रूप में क्लस्टर को सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्थाओं की अस्थायी निधि की बढ़ती हुई रुझान का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए ऐसी निधियों को इस शर्त के अधीन एसपीवी में निवेशित किए जाने हेतु बढ़ावा दिया जाएगा कि उनका अंशदान कुल इक्विटि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा इस संबंध में इस संबंध में मिशन निदेशक की सिफ़ारिश के आधार पर , मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है।

iv. राज्य एवं केंद्र सरकार की अन्य योजनाएँ*:* एमपीएलएडीएस, एमओआरडी इत्यादि जैसी केंद्र व राज्य सरकार की विविध योजनाओं से निधि का मिलान करने हेतु प्रमोटर अभिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एमएससी योजना हेतु निधि स्वीकृत की गई, बशर्ते कि परियोजना को किसी एक से अधिक स्रोत से निधि प्रदान न किया गया हो।

13.2. उपरोक्तानुसार प्रदर्शित अंशधारकों की भागीगारी निर्देशात्मक है। एसएससी के अनुमोदन के अधीन इसप्रकार की भागीदारी अथवा आवश्यक सहायता का उल्लेख डीपीआर में किया जाएगा।

13.3 इसलिए प्रमोटर अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि ठीक प्रोजेक्ट डिजाइन चरण से कनवरजेंस को कार्यान्वयन के प्रारूप में किया गया है।

14. दीर्घकालिकता

14.1. क्रेडिट *प्राप्ति* :एसपीवी, क्लस्टर के भीतर की गतिविधियों को निष्पादित करने हेतु कार्यशील पूंजी सहित क्रेडिट आवश्यकता की व्यवस्था करेगा। आवश्यकतानुसार, क्रेडिट इत्यादि पर कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में वैयक्तिक ग्रुप में क्रेडिट उपलब्ध करा सकता है।

14.2. क्लस्टर हेतु व्यावसायिक योजना*: प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त मार्केट सर्वेक्षण के पश्चात, जैसा एसपीवी के अनुसार उचित हो, क्लस्टर में एमएससी कार्यान्वयन के पहले दो वर्ष के भीतर एसपीवी क्लस्टर हेतु व्यावसायिक योजना तैयार करेगा।*

15. राज्य सरकार की भूमिका

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्य सरकारों की सक्रिय सहभागिता की परिकल्पना ही गई:

i. डीपीआर को मिशन निदेशालय के समक्ष संवीक्षा हेतु प्रस्तुत करने व एसएससी द्वारा द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने हेतु राज्य/संघीय राज्य के उद्योग/एमएसएमई विभाग के सचिव की सिफ़ारिश आवश्यक है। यद्यपि, इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रमोटर अभिकरण की विधिक एंटिटी, गठन व अस्तित्व की पुष्टि व प्रमाणन सरकारी तंत्र द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि सरकारी निधि के डुप्लिकेशन व दुरुपयोग से बचा जा सके।

ii. क्लस्टर की स्थापना हेतु, आवश्यकतानुसार, सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना तथा साथ ही साथ क्लस्टर को प्राथमिकता के आधार पर बिजली, पानी व अन्य उपयोगी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना।

iii. परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर बिजली, जल-आपूर्ति, सड़क, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान इत्यादि जैसी आवश्यक बाह्य आधारभूत संरचना को, आवश्यकतानुसार, उपलब्ध कराना।

iv. आधारभूत संरचना/औद्योगिक विकास निगम जैसी राज्य सरकार के अभिकरण इस परियोजना में एसपीवी की इक्विटी का अंशदान व अनुदान पार्डन कर परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं।

v. समग्र प्रभाविता व परियोजना की जीवन-क्षमता हेतु संबन्धित योजनाओं के अंतर्गत सहायता का लाभ उठाना।

vi. राज्य /संघीय राज्य सरकार सर्वेक्षण कर इसका एक मैप तैयार कर एमएससी के तहत क्लस्टर हेतु क्षमतावान क्षेत्रों व उत्पादों को चिन्हित सकते हैं तथा तदनुसार, इन स्थानों पर सोलर चरखा की स्थापना करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

16. परिसंपत्तियों का प्रचालन व अनुरक्षण

16.1 एसपीवी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस योजना के अधीन सृजित सभी सुविधाएं समान्यतः क्लस्टर को उपलब्ध कराई गई हैं।

16.2 एसपीवी, इस योजना के तहत सृजित परिसंपत्ति के प्रचालन व अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

16.3 इस योजना के तहत सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता की तिथि से 10 वर्ष के भीतर एसपीवी के विघटन की स्थिति में, इस प्रकार की सहायता से सृजित परिसंपत्ति सरकार के पास निहित होगी। एसपीवी के संगम ज्ञापन व संगम अनुच्छेद इस शर्त को शामिल करेंगे।

17. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

17.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इस योजना के अंतर्गत, मिशन निदेशालय के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति का समय-समय पर समीक्षा करेगा। मिशन निदेशालय, क्लस्टर/प्रमोटर अभिकरण/एसपीवी से भौतिक व वित्तीय प्रगति के विवरण सहित मासिक प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होगा तथा नियमित रूप से मंत्रालय को अग्रेषित करेगा। मिशन निदेशालय इस कार्य हेतु एक निर्धारित एमआईएस का कार्यान्वयन कर सकता है। मिशन निदेशालय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य आईसीटी उपकरणों के माध्यम से परियोजना अवधि के दौरान प्रत्येक क्लस्टर की प्रगति का जायजा लेंगे।

17.2 प्रमोटर अभिकरण द्वारा आवधिक समीक्षा: क्लस्टर के दिन-प्रतिदिन संचालन के सर्वेक्षण के अलावा, प्रमोटर अभिकरण मिशन निदेशालय द्वारा विधिवत अनुमोदित अनुश्रवण की रूपरेखा तैयार करेगा।

17.3 योजना का मूल्यांकन: इस योजना के अंतर्गत कमियों का पता लगाने व सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु परियोजना/क्लस्टर के अन्य पक्षीय मिड टर्म मूल्यांकन करने का लक्ष्य निहित है। प्राप्त परिणामों के सत्यापन की दृष्टि से क्लस्टर और कार्यक्रम दोनों स्तर पर परियोजना अवधि के अंत में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी किया जाएगा।

18. अस्पष्टता को दूर करना-

उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय उपरोक्त दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु यथाआवश्यक अनुदेश भी जारी कर सकता है। यदि, इन प्रावधानों को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई अथवा अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस स्थिति में मंत्रालय उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है, जिसे मानने के लिए प्रमोटर अभिकरण/एसपीवी बाध्य होंगे।

18.1. जहां तक इन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के निर्वचन/स्पष्टीकरण का संबंध है, तो इस संबंध में योजना संचालन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

*****

अनुलग्नक-1: प्रमोटर अभिकरण के चयन का मानदंड

एसपीवी/प्रमोटर का चयन व मानदंड

उठाए गए प्रश्न	उत्तर
प्रमोटर अभिकरण के चयन का मानदंड	चयन संबंधी मानदंड का निर्धारण निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा। 1. एमएसएमई की कार्य-नीति, विजन एवं एलाइनमेंट 2. बोर्ड एवं गवर्नेंस – अनुभव, वरिष्ठ मैनेजमेंट, बोर्ड के सदस्यों व वरिष्ठ मैनेजमेंट की भूमिका 3. मैनेजमेंट व सिस्टम 4. संगठनात्मक संरचना तथा मानव संसाधन प्रबंधन - 5. वित्तीय स्रोत – इक्विटि तथा ऋण संरचना 6. पिछले तीन वर्ष का वित्तीय कार्य निष्पादन – लाभ व आईआरआर
एसपीवी मॉडल (मेम्बरशिप मॉडल)	निम्नलिखित के संबंध में एसपीवी द्वारा वित्त प्रदान किया जाएगा: 1. टीपीसी व टीसी हेतु सेटअप कॉस्ट 2. टीसी व टीपीसी हेतु कार्यशील पूंजी ब्याज सब्सिडी 3. लाभार्थियों हेतु परिसंपत्ति वित्त 4. लाभार्थियों हेतु कार्यशील पूंजी ब्याज सब्सिडी
प्रमोटर हेतु गैर वित्तीय प्रोत्साहन	• रोजगार सृजन • उद्यमिता • सामुदायिक विकास
बैंक से जुड़े सभी भुगतान	परियोजना की विभिन्न वित्तीयन आवश्यकता हेतु बैंक लिंकेज की सुविधा होगी। प्रत्येक वित्तीयन को एक विशिष्ट वित्तीय प्रणाली से जोड़ा जाएगा। वित्तीयन के विभिन्न स्रोतों का निष्पादन निम्नलिखित के माध्यम से किया जाएगा। 1. मुद्रा ऋण 2. माइक्रोफाइनेंस संस्था/एनबीएफ़सी 3. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
परिसंपत्ति व टीसी के हस्तांतरण	टीपीसी व टीसी के हस्तांतरण के समय, प्रमोटर एसेट्स तथा देयता को निम्नलिखित आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा: 1. नए प्रमोटर को पट्टा विलेख हस्तांतरित किया जाएगा। 2. परिसंपत्ति के मूल्य ह्रास की छूट देने के पश्चात ह्रासित मूल्य पर परिसंपत्ति हस्तांतरित की जाएगी। 3. यदि इस दौरान को हानि/क्षति होती है, तो इसका वहन एसपीवी द्वारा किया जाएगा।
कार्यशील पूंजी जारी करना	सभी संव्यहवार डिजिटल के रूप में प्रतिपूर्ति मॉडल आधार किया जाएगा। प्रतिपूर्ति मॉडल निम्नानुसार होगा: 1. प्रमोटर द्वारा विशिष्ट कार्यशील पूंजी लेखे का अनुरक्षण किया जाएगा। 2. प्रमोटर अपने चालू खाते में कार्यशील पूंजी के हिस्से को रखेंगे। 3. कार्य के आधार पर कार्यशील पूंजी जारी की जाएगी।
अनुश्रवण प्रणाली	अनुश्रवण में सेटअप व उत्पादन के सभी पहलू शामिल होंगे तथा लाभार्थियों का पूरा पूरा लाभ उठाया जाएगा। आंतरिक व बाह्य दोनों तरह से अनुश्रवण किया जाएगा। आंतरिक अनुश्रवण पर्यवेक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जो इस सुविधा के दिन-प्रतिदिन के प्रचालन का अनुश्रवण करेंगे। बाह्य अनुश्रवण अन्य पक्ष द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे: 1. टीसी और टीपीसी आधारभूत संरचना व गुणवत्ता 2. टीसी तथा टीपीसी परिसंपत्ति 3. लाभार्थियों का प्रशिक्षण 4. निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों हेतु परियोजना संबंधी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना। 5. लाभार्थियों का उपयोग

अनुलग्नक-I: गवर्निंग काउंसिल की संरचना।

1	माननीय मंत्री, एमएसएमई	अध्यक्ष
2	सचिव, एमएसएमई मंत्रालय	सदस्य
3	अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)	सदस्य
4	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस तथा एफ़ए), एमएसएमई मंत्रालय (अथवा एक प्रतिनिधि)	सदस्य
5	प्रधान सलाहकार, पीएएमडी, निटी आयोग	सदस्य
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी, केवीआईसी	सदस्य
7	संयुक्त सचिव, सोलर, एमएनआरई मंत्रालय	सदस्य
8	संयुक्त सचिव, कॉटन, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
9	संयुक्त सचिव (एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
10	इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रतिनिधि (आईबीए)	सदस्य
11	भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड) के प्रतिनिधि)	सदस्य
12	कम से कम दो राज्यों के प्रधान सचिव के प्रतिनिधि-गण	सदस्य
13	संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय	सदस्य संयोजक

अनुलग्नक-II: योजना संचालन समिति की संरचना

1	सचिव, एमएसएमई मंत्रालय	अध्यक्ष
2	अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)	सदस्य
3	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस तथा एफ़ए), एमएसएमई मंत्रालय (अथवा एक प्रतिनिधि)	सदस्य
4	प्रधान सलाहकार, पीएएमडी, निटी आयोग	सदस्य
5	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी	सदस्य
6	संयुक्त सचिव, सोलर, एमएनआरई मंत्रालय	सदस्य
7	संयुक्त सचिव, कॉटन, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
8	संयुक्त सचिव (एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
9	इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रतिनिधि (आईबीए)	सदस्य
10	भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि)	सदस्य
11	कम से कम दो राज्यों के प्रधान सचिव के प्रतिनिधि-गण	सदस्य
12	संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय	सदस्य संयोजक

अनुलग्नक2.1: पीएमयू की संरचना

1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी – केवीआईसी	अध्यक्ष
2	कार्यालय प्रभारी, विपणन	सदस्य
3	बैंक/ भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि	सदस्य
4	परियोजना प्रबंधन, वित्त एवं फोरकास्टिंग व विपणन से 3 विशेषज्ञ	सदस्य

अनुलग्नक -3

नए प्रमोटर अभिकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

1. संक्षिप्त विवरण

2. प्रायोजक/प्रमोटिंग संगठन से पृष्ठांकन (कृपया अनुलग्नक 1 देखें)

3. संस्था/संगठन का नाम:
पता, फोन नंबर, फैक्स:

4. संगठन प्रमुख का नाम एवं पदनाम:
पता, फोन, मोबाइल, ई-मेल:

5. एमएससी समन्वयकर्ता का नाम, पदनाम व संपर्क संबंधी विवरण: -
पता, फोन, मोबाइल, ई-मेल:

6. प्रमोटर अभिकरण – सामान्य:

I. संगठन की विधिक स्थिति(कृपया पंजीयन प्रमाणपत्र संलग्न करें) तथा यह भी उल्लेख करें कि क्या संगठन राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय है।
II. पंजीकृत संगठन की स्थापना-तिथि व संक्षिप्त विवरण
III. शासी निकाय/बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की सूची
IV. गतिविधि का क्षेत्र
V. प्रमुख नियमित दानकर्ता (यदि कोई हो तो)
VI. उन संगठनों के नाम, जिनके साथ औपचारिक समझौता ज्ञापन/लिंकेज है।
VII. अंतिम वार्षिक आम बैठक की तिथि (बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करें)
VIII. पिछले 03 वर्षों के वार्षिक लेखा-परीक्षा विवरण व आईटी विवरणी संलग्न करें।

7. एमएससी के अंतर्गत क्लस्टरों को होस्ट करने हेतु साझेदार संस्था की तैयारी

I. क्लस्टर की स्थापना हेतु चिन्हित संस्था से प्रमोटर अभिकरण समन्वयकर्ता का अनुभव व विशेषज्ञता (संक्षिप्त बायोडाटा संलग्न करें) नवीनीकरण और उद्यमिता के क्षेत्र में विशेषज्ञता व अवधारणात्मक समझ व गहन रुचि रखने वाले व्यक्ति को क्लस्टर के परिचालित होने तक इसके संचालन में वरीयता दी जाएगी तथा तत्पश्चात, सरकार और क्लस्टर के मध्य एक सक्रिय इंटरफेस होगा)

II. नीचे दी गई तालिका के अनुसार, पिछले 03 वर्षों के दौरान आरंभ की गई परियोजना की सूची:

क्लस्टर/परियोजना का नाम	प्रमोटर अभिकरण	स्वीकृत राशि (रु. में)	जारी निधि (रु. में)	अवधि	परिणाम

III. पुरस्कार व मान्यता (पिछले 05 वर्ष का): प्राप्त मान्यता व पुरस्कार का विवरण (अत्यधिक महत्वपूर्ण)

IV. नवीनीकरण व उद्यमिता संबंधी कोई अन्य उल्लेखनीय गतिविधियां:

- उत्पाद विकास/क्लस्टराइजेशन के विवरण को विनिर्दिष्ट करें।
- उद्यमिता अभिमुखीकरण सहित स्टाफ अथवा साझेदार संगठन
- क्लस्टर संबंधी गतिविधियों में संबन्धित क्लस्टर कार्यक्रम (कोर्स, कार्यशाला, सम्मेलन,प्रतियोगिता व व्यख्यान) का आयोजन .

8. क्लस्टर की शक्यता:

क्लस्टर होस्ट करने संबंधी संस्था की क्षमता और तैयारी का विवरण :

- क्लस्टर होस्ट करने संबंधी संस्था की क्षमता
- इस क्षेत्र में स्थान और पारिस्थितिक तंत्र का समग्र व्यावसायिक पर्यावरण
- क्लस्टर की जरूरतों का आकलन
- क्लस्टर में नए कारीगरों को टैप करने के स्रोत
- 2-3 वर्षों के बाद क्लस्टर की परिचालन स्थिरता के लिए प्रमोटर एजेंसी का वित्तीय मॉडल, क्योंकि एमएसएमई मंत्रालय से सहायता पहले दो वर्षों के लिए उपलब्ध है और उचित स्वीकृति के साथ एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- क्लस्टर परियोजनाओं के निर्माण में अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करने की क्षमता

9. तीन वर्ष के लिए सालाना कार्य योजना (विस्तृत कार्य योजना के साथ पृथक रूप से एक गतिविधि चार्ट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

10. लक्ष्यांक उपलब्धि (प्राप्य लक्ष्यांक के आधार पर परिलक्षित किया जाना चाहिए)

परिणाम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	कुल

(क) क्लस्टर के हिस्से के रूप में नामांकित किए जाने वाले कारीगरों की संख्या (ख) परिव्यय एवं परिणाम के साथ प्रशिक्षण की प्रकृति- भौतिक एवं वित्तीय (ग) वर्कशेड का निर्माण-भौतिक एवं वित्तीय (घ) चरखा एवं करघा प्रापण –भौतिक एवं वित्तीय (ङ) अन्य उल्लेखनीय सेवाएँ				

11. क्लस्टर की दीर्घकालिकता हेतु राजस्व सृजन लक्ष्यांक

क्रम संख्या	राजस्व सर्जन का माध्यम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
	कुल				

प्रमोटर अभिकरण के प्रमुख का नाम एवं हस्ताक्षर

क्लस्टर समन्वयकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

तिथि:

स्थान:

अनुबंध 3.1

संस्था/संगठन प्रमुख से पत्र

1. हमनें एससीसीएस के लिए अनुदान योजना के नियमों और शर्तों अवलोकन कर लिया है तथा हम इसके अनुपालन हेतु सहमत हैं।
2. हमने वित्तीय या अन्य सहायता के लिए किसी भी अन्य एजेंसी को कोई भी प्रस्ताव न तो प्रस्तुत किया है और न ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर हमें सहायता प्राप्त होती है, तो हम एमएसएमई मंत्रालय को सूचित करेंगे।
3. हम यह शपथ लेते हैं कि हम इस योजना के तहत प्रमोटर अभिकरण को एनए के रूप में चुने जाने के 3 माह के भीतर दिशानिर्देशों के अनुसार उसे पंजीकृत सोसाइटी/ धारा 8 कंपनी के रूप पंजीकृत करेंगे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार, क्लस्टर के सफल संचालन के लिए आवश्यक हार्डवेयर, अन्य बुनियादी सुविधाएं और ऐसे अन्य प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
5. हम प्रमोटर अभिकरण और टीए के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित करने हेतु दिशानिर्देशों के टेम्पलेट के अनुसार क्लस्टर के कार्य को पूरा करने के लिए चुने गए तकनीकी एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करेंगे।
6. हम आवश्यकतानुसार प्रगति रिपोर्ट, विवरण, विवरण, उपयोग प्रमाण पत्र इत्यादि जमा करना चाहते हैं।
7. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ/श्री/श्रीमती ..... प्रस्तावित क्लस्टर के समन्वयकर्ता होंगे तथा परियोजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व स्वीकार करेंगे।
8. हमारा संगठन क्लस्टर की पूरी वित्तीय और अन्य प्रबंधन जिम्मेदारियों और एमएसएमई मंत्रालय के वित्तीय सहयोग हेतु 2-3 वर्षों से अधिक अवधि तक क्लस्टर के सफल संचालन का आश्वासन देता है।
9. यदि उपर्युक्त में से कोई भी विवरण किसी भी समय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा गलत पाया गया है, तो संगठन द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण राशि एमएसएमई मंत्रालय को लौटाने का जिम्मा लेता हूँ/ वापस करने की ज़िम्मेदारी लेती है।

प्रमोटर एजेंसी के प्रमुख का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

तिथि .....
स्थान .....

अनुबंध-4

क्लस्टर के लिए प्रोमोटर एजेंसी के लिए अनुदान-सहायता के लिए नियम और शर्तें

1. भारत सरकार के महा लेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा नवीनतम निर्देश के अनुसार, प्रमोटर एजेंसी को निधि जारी करने की सुविधा के लिए सीजीए वेबसाइट (http://cpsms.nic.in) पर पंजीकरण करना आवश्यक है।
2. सभी प्रमोटर एजेंसियों को किसी भी अनुदान सहायता प्राप्त करने के पूर्व गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर बॉन्ड (निर्धारित प्रोफार्मा में) निष्पादित करने की आवश्यकता है।
3. जारी किए जाने वाले अनुदान को उस निर्धारित उद्देश्य पर ही खर्च किया जाना चाहिए, जिसके लिए यह अनुदान जारी किया गया है। अखर्चित राशि, भारत सरकार को नई दिल्ली में देय आहरण एवं संवितरण अधिकारी, एमएसएमई मंत्रालय के पक्ष में एपीडीडी के माध्यम से लौटा दी जाएगी।
4. प्रमोटर एजेंसी को भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अथवा अनुदान की किस्त के मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक की दो प्रतियां भेजने की आवश्यकता है i) प्रगति रिपोर्ट; और ii) उपयोगिता प्रमाणपत्र।
5. प्रमोटर एजेंसी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एमएसएमई मंत्रालय को स्वीकृत राशि से संबंधित खातों के लेखापरीक्षित विवरण की दो प्रतियां भेजने की आवश्यकता है।
6. अनुदान से प्राप्त या सृजित संपत्तियां सरकार की संपत्ति होगी। एमएसएमई मंत्रालय की अनुमति के बगैर इस संपत्ति का उपयोग या निबटान किसी अन्य उद्देश्य से नहीं करना होगा।
7. परियोजना के पूर्ण होने पर भारत सरकार संपत्तियों को बेचने या अन्यथा निपटाने के लिए स्वतंत्र होगा। संस्था सरकार को निविदा देगी। इन संपत्तियों की बिक्री की व्यवस्था के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
8. प्रमोटर अभिकरण, भारत सरकार के प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार अनुदान से संबंधित खातों सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा विवरण एमएसएमई मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।
9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) को अपने विवेकाधिकार पर सरकार से प्राप्त अनुदान के लिए लेखा बही को देखने का अधिकार होगा।
10. प्रमोटर एजेंसी अनुदान के लिए अलग-अलग लेखापरीक्षित खातों का अनुरक्षण करेगी। जारी निधि को बैंक खाते में रखा जाना चाहिए, जिससे कि ब्याज अर्जित हो और अर्जित ब्याज की जानकारी एमएसएमई मंत्रालय को दी जानी चाहिए। इस प्रकार अर्जित ब्याज को संगठन के लिए क्रेडिट के रूप में माना जाएगा ताकि इसे अनुदान की किस्तों के लिए समायोजित किया जा सके, यदि कोई हो।
11. प्रमोटर एजेंसी को उस काम के कार्यान्वयन को नहीं सौंपा जाना चाहिए जिसके लिए अनुदान किसी अन्य संस्थान को स्वीकृत किया जा रहा है और प्राप्त अनुदान दूसरी संस्था को डाइवर्ट कर दिया गया हो। यदि अनुदानदाता परियोजना को निष्पादित करने या पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तो सरकार द्वारा प्राप्त उस निधि को सरकार को वापस करने की आवश्यकता हो सकती है।
12. यदि एमएसएमई मंत्रालय को ऐसा लगता है कि प्रदत्त अनुदान का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है और न ही परियोजना में कोई प्रगति हुई है तो परियोजना के किसी भी चरण में एमएसएमई मंत्रालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह परियोजना सहायता को समाप्त कर सकता है।
13. प्रमोटर अभिकरण द्वारा हुई किसी विनियामक/सांविधिक चूक/त्रुटि हेतु एमएसएमई मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।